



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AB-984840

प्रमाणित किया जाता है कि रुपये 10/- मात्र का स्टाम्प  
नकल संख्या 8076 / 2013 के साथ संलग्न किया गया  
है, जो दिनांक 6/3/12 से बही नम्बर 12 की  
जिल्द नम्बर 7562 के सुफे 319/320 के दस्तावेज  
नम्बर 3113 की सत्य एवं प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसे  
आज दिनांक 04/5/13 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय,

गोरठ अभिलेखांगार से नकल के रूप में जारी की गयी है।

3113

509  
320

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट

बनाम उ0प्र0 सरकार

संख्या 1535/2012  
मोर्सो सोनिया मोटर फाईनेन्स  
प्रॉलि0 द्वारा उमेश गर्ग

ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ।

दिनांक : 21-02-2012

पत्रांक 1535/आर0ए./परवाना/2012

:: परवाना अमलदरामद ::

तहसीलदार,  
मेरठ।

उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21-02-2012 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :-

"ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00275 के खसरा संख्या 49मि0 कुल ख.बा 2.5920 है0 में से 0.4180 है0 भूमि लगानी 70.60/- रु0 का अतिरिक्त भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 01-02-2012 एवं नक्स-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शहरी विकास स्थलों तथा मेरठ विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद अथवा अन्य क द्वारा यदि कोई शर्त/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश ही निरस्त हो जायेगा।"

अतः परवाना अमलदरामद दो प्रतियों में आपको इस आशय से भेजा जा रहा है। आप आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराकर, परवाने की एक प्रति इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार मिश्र)  
उप जिलाधिकारी,  
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी (वि0/स0) मेरठ महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।  
विकास प्राधिकरण मेरठ की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
निबंधक, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/2/12  
(अरविन्द कुमार मिश्र)  
उप जिलाधिकारी,  
मेरठ।

पता पतिलिपि Road Infra Solutions Pvt. Ltd.